[2020] 7 एस सी आर 131

धनपत

वी.

शीओ रैम (नष्ट) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 1960)

19 मार्च, 2020

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925:

एस. 63 – वसीयत-स्वीकार्यता-यह घोषणा करने के लिए मुकदमा कि वादी, उसकी माँ और उसकी बहनों का मुकदमे में समान हिस्सा था

भूमि जो प्रतिवादी संख्या 5 को वसीयत के माध्यम से दी गई थी-वसीयत को धोखाधड़ी और गलत निरूपण के परिणामस्वरूप चुनौती दी गई थी

निचली अदालत के साथ-साथ पहली अपीलीय अदालत ने मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादी का संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था क्योंकि वसीयतकर्ता के जीवनकाल के दौरान संपत्ति का विभाजन पहले ही किया जा चुका था और वसीयत विधिवत साबित हो चुकी थी-दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने मुकदमे को इस आधार पर फैसला सुनाया कि वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई थी और उसका निष्पादन एस की आवश्यकता के अनुसार साबित नहीं हुआ था। 63 अधिनियम की-उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजितः सत्यापित करने वाले गवाह और वसीयत के लेखक और उप-पंजीयक कार्यालय के अधिकारी का बयान साबित करता है।

वसीयत का उचित निष्पादन-प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के बहिष्करण से वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी नहीं रहेगी-उच्च न्यायालय ने तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में कानूनी रूप से गलती की नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा अभिलिखित।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

एसएस। 65 और 68-द्वितीयक साक्ष्य-स्वीकार्यता। 65 द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देता है जहाँ मूल दस्तावेज का उपयोग किया गया है।

नष्ट या नष्ट-वर्तमान मामले में वसीयत का निष्पादन विवादित नहीं था, लेकिन केवल वसीयत का प्रमाण विवाद का विषय था एक बार जब विरोधी पक्ष द्वारा साक्ष्य लाया गया कि मूल वसीयत खो गई थी और इसकी प्रमाणित प्रति पेश की गई थी, तो द्वितीयक साक्ष्य के नेतृत्व के लिए पर्याप्त आधार बनाया गया है। 65 (ग) गौण साक्ष्य का नेतृत्व करने से पहले।

[2020] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1941:

एस. 41 दूसरी अपील-आयोजित की गईः एस के संदर्भ में उच्च न्यायालय। 41 तथ्य की खोज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. कानून के पर्याप्त प्रश्न की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

पंजाब और हरियाणा में तैयार किया जाएगा, लेकिन फिर भी, दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 41 के संदर्भ में भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। [पैरा 11] [139-ए-बी]

पंकजक्षी (डी) एल. आर. और अन्य के माध्यम से। वी. चंद्रिका और ओआरएस। (2016) 6 इसके बाद एस. सी. सी. 157 [2016] 3 एस. सी. आर. 1018 आया।

रणधीर कौर बनाम। पृथ्वी पाल सिंह और अन्य [2019] 9 एस. सी. आर. 776 पर निर्भर थे।

2.1 साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 द्वितीयक अनुमति देती है।

किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या विषय-वस्तु का साक्ष्य, जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जहाँ मूल दस्तावेज़ को नष्ट कर दिया गया है या खो दिया गया है। यदि वह गवाह जिसकी अभिरक्षा में विलेख को उसके नुकसान के लिए गवाही दी जानी चाहिए, जब तक कि उसके असत्य होने का कोई उद्देश्य नहीं सुझाया जाता है, तो उसके साक्ष्य को विलेख के द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए पर्याप्त के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और अगर इसके अलावा उनकी क्रॉस-जाँच नहीं की गई, तो यह परिणाम और भी अधिक होगा। वर्तमान मामले में वसीयत लाभार्थी के कब्जे में थी और इसे खोया हुआ बताया गया था। वसीयत 30 अप्रैल, 1980 की है जबकि वसीयतकर्ता की मृत्यु 15 जनवरी, 1982 को हुई थी। कोई क्रॉस नहीं है मूल वसीयत खोने के संबंध में प्रतिवादियों के किसी भी गवाह की परीक्षा। वादी ने वसीयत के निष्पादन को स्वीकार किया था, हालांकि यह धोखाधड़ी और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का परिणाम होने का आरोप लगाया गया था। वसीयत के निष्पादन पर वादी द्वारा विवाद नहीं किया गया था, लेकिन मुकदमे में वसीयत का केवल सबूत ही विषय था। इसलिए, एक बार जब प्रतिवादियों का साक्ष्य यह है कि मूल वसीयत खो गई थी और प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई थी, तो प्रतिवादियों ने इसका नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त आधार बनाया है।

द्वितीयक साक्ष्य। [पैरा 15 और 17] [141-ए-बी, एफ-एच; 142-ए]

एम. एहतिशम अली अपने लिए और एम. सखावत अली के स्थान पर, क्योंकि मृतक बनाम। जमना प्रसाद, मृतक होने के बाद से & ओआरएस। एयर

1922 पी. सी. 56-पर निर्भर।

धनपत वी. शीओ रैम (नष्ट) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस।

अहेर रामा गोवा और अन्य। वी. गुजरात राज्य (1979) 4

एस. सी. सी. 500-संदर्भित।

2.2 ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (सी) के संदर्भ में आवेदन दायर करने की आवश्यकता हो। एल. आई. एस. का एक पक्ष एक आवेदन दायर करने का विकल्प चुन सकता है जिस पर निचली अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, लेकिन यदि मुकदमे के किसी पक्ष ने अभियोग या साक्ष्य में गौण साक्ष्य के नेतृत्व की नींव रखी है, तो द्वितीयक साक्ष्य को केवल विचार के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि माध्यमिक साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर नहीं किया गया था। [पैरा 20] [143-बी-सी]

बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम। गुजरात राज्य और अन्न। (2001) 3 एससीसी 1: [2001] 2 एससीआर 29; जेड. इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. बिपिन बिहारी बेहरा और अन्य। (2020)

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 184-संदर्भित।

4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1963 की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 की आवश्यकता है।

वर्तमान मामले में संतुष्ट। सत्यापित करने वाले गवाहों में से कम से कम एक से उसके प्रमाणन को साबित करने के लिए पूछताछ की जानी चाहिए और एक अन्य गवाह और वसीयतकर्ता द्वारा प्रमाणन। वर्तमान मामले में, डी. डब्ल्यू.-3 ने अपदस्थ किया कि वसीयतकर्ता ने अपने चार पोतों के पक्ष में अपनी वसीयत का निष्पादन किया था और उसने और एक अन्य व्यक्ति ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि वसीयतकर्ता ने भी तहसील कार्यालय में इस पर हस्ताक्षर किए। वसीयत के निष्पादन के गवाह भी थे

उप-पंजीयक के समक्ष गवाह। जिरह में उन्होंने कहा कि वह पंजीकरण के लिए अन्य दस्तावेजों के संबंध में तहसील कार्यालय आए थे। उन्होंने पदच्युत किया कि पूर्व डी-4-वसीयत, उनकी उपस्थिति में टाइप की गई थी। उन्होंने इस सवाल का खंडन किया कि उनकी उपस्थिति में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी। कोई क्रॉस नहीं था

उप-पंजीयक के समक्ष उनके उपस्थित न होने के बारे में जाँच।

एक बार वसीयत साबित हो जाने के बाद, ऐसे दस्तावेज़ की सामग्री सबूत का हिस्सा होती है। प्रत्येक मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि वसीयत के निष्पादन के समय गवाह मौजूद था या नहीं और क्या वसीयतकर्ता और प्रमाणक गवाहों ने उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। प्रमाणित करने वाले गवाह का बयान उप-पंजीयक के कार्यालय के लेखक और अधिकारी के साक्ष्य के अलावा वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करता है। [पैरा 23] [144-एफ-जी; 145-ए-बी] [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. एल. अब्दुल जब्बार साहिब बनाम एम. वी. वेंकट शास्त्री एंड संस

& ओआरएस। (1969) 1 एससीसी 573: [1969] 3 एससीआर 513; एन.

कमलम (मृत) और अन्न। वी. अय्यासामी और अन्न। (2001) 7

एससीसी 503 [2001] 1 पूरक। एससीआर 272; जानकी नारायण

भोइर वी। नारायण नामदेव कदम (2003) 2 एससीसी 91:

[2002] 5 पूरक। एससीआर 175-प्रतिष्ठित।

एच. वेंकटचाला अयंगर बनाम। बी. एन. थिम्माजम्मा और अन्य।

ए. आई. आर 1959 एस. सी 443: [1959] पूरक। एससीआर 426; सेठ बेनी

चंद (मृत होने के बाद से) अब एल. आर. द्वारा। वी. श्रीमती. कमला कुंवर

& ओआरएस। (1976) 4 एससीसी 554: [1977] 1 एससीआर 578 - संदर्भित किया गया।

5. वसीयत को संदिग्धों से घिरा हुआ नहीं कहा जा सकता है।

परिस्थितियों में, इस तथ्य के कारण कि वसीयत में कुछ प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का उल्लेख नहीं किया गया था। [पैरा 30] [147-जी]

रवीन्द्र नाथ मुखर्जी और अन्न। वी. पंचानन

बनर्जी (मृत) एल. आर. द्वारा & ओआरएस। (1995) 4 एससीसी 459;

वेद मित्र वर्मा बनाम। धरम देव वर्मा (2014) 15 एससीसी

578 ; लीला राजगोपाल और अन्य। वी. कमला मेनन कोचरान और ओआरएस। (2014) 15 एससीसी 570: [2014] 7 एससीआर

697 पर भरोसा किया।

6. उच्च न्यायालय ने कानून में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से गलती की है

नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के साथ। पूरा फैसला कानून की गलत धारणा पर चलता है और इसलिए, कानून में टिकाऊ नहीं है। वही अलग रखा जाता है और

प्रथम अपीलीय न्यायालय की डिक्री को बहाल किया जाता है। [पैरा 33] [149-ई]

मामला कानून संदर्भ

[2016] 3 एससीआर 1018

पै

रा 11

पीछा किया।

[2019] 9 एससीआर 776

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

ए. आई. आर 1922 पी. सी. 56 (1979) 4 एससीसी 500

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[2001] 2 एससीआर 29

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

(2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 184

संदर्भित किया गया है

पैरा 19 धनपत बनाम। शीओ रैम (नष्ट) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस।

[1959] पूरक। एससीआर 426

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[1977] 1 एससीआर 578

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

[1969] 3 एससीआर 513

पै

रा 24

प्रतिष्ठित

[2001] 1 पूरक। एससीआर 272

प्रतिष्ठित

पै

रा 26

[2002] 5 पूरक। एससीआर 175

प्रतिष्ठित

पै

रा 28

(1995) 4 एससीसी 459

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

(2014) 15 एस. सी. सी. 578

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[2014] 7 एससीआर 697

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1960

2020 से।

उच्च न्यायालय के 27.03.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आर. एस. ए. सं. 3131/1987 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का।

ऋषि मल्होत्रा, उत्कर्ष सिंह और मोहित चौधरी, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

मनोज स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नीलमणि पंत, सुश्री विदिशा स्वरूप

और अजय कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपील में चुनौती द्वारा पारित एक आदेश के लिए है

27 मार्च, 2014 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जिसके तहत नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया गया और प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर मुकदमे का फैसला सुनाया गया।

2. उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण तथ्य तैयार किए हैं -

कानून के प्रश्नः

" 1. क्या वसीयत दिनांकित 30.4.1980 Ex. D-3 के चारों ओर संदिग्ध परिस्थितियों और उनका उचित निष्पादन भी नहीं किया गया था।

धारा 63 की आवश्यकताओं के अनुसार साबित किया गया

2. क्या नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों ने पूरी तरह से गलत पढ़ा है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का गलत अर्थ लगाया और गलत व्याख्या की,

विशेष रूप से विल एक्स. डी.-3, जिसके कारण विवादित

निर्णयों को कायम नहीं रखा जा सकता है। "[2020] 7 एस. सी. आर.

3. स्वीकृत तथ्य यह है कि एक मिसरी के दादा थे

वादी-शिव राम और प्रतिवादी संख्या 5-सोहन लाल और प्रतिवादी Nos.7-9 उसकी पोतियाँ थीं। चंदू राम वादी और प्रतिवादी के पिता थे और चंद कौर के पति को अपने पिता मिसरी से मुकदमे की जमीन विरासत में मिली थी।

4. वादी ने घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि वह अपने साथ

माँ, चांद कौर और उसकी बहनें, प्रतिवादी संख्या। 7-9 , वे 489 कनाल 4 मरला की सूट भूमि के मालिक थे और उनके बराबर हिस्से के कब्जे में थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब के प्रथागत कानून द्वारा शासित हैं। इसके अलावा, कि उसका भाई, प्रतिवादी

नं. 5 ने चंदू राम से अपने बेटों के पक्ष में 30 अप्रैल, 1980 को एक वसीयत प्राप्त की। इस तरह की वसीयत जाट प्रथागत कानून का उल्लंघन करती है और धोखाधड़ी और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का परिणाम थी। प्रतिवादी संख्या 5 और उसके बेटे, वसीयत के तहत लाभार्थियों ने एक सामान्य लिखित बयान दायर किया और जोर देकर कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने के बाद इस प्रथा को निरस्त कर दिया गया था और चंदू राम ने अपने जीवनकाल के दौरान अपने सभी बेटों को अलग कर दिया था और अपनी बेटियों, प्रतिवादी को दहेज और अन्य समारोहों के रूप में पर्याप्त राशि दी थी। प्रथागत उत्सव। इस संबंध में वादी को पर्याप्त भूमि भी दी गई थी, इसलिए कोई संयुक्त हिंदू परिवार नहीं था। इच्छापत्र को चंदू राम ने अपने स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण निष्पादित किया था और यह बिना किसी प्रलोभन या धोखाधड़ी या गलत निरूपण के था।

5. विद्वत निचली अदालत ने 12 मुद्दों को तैयार किया लेकिन

वर्तमान अपील पर निर्णय लेने का उद्देश्य, अंक सं। 1 , 3 और 7 प्रासंगिक हैं।

जो नीचे पढ़ा गया है:

" 1. क्या वादी और प्रोफार्मा प्रतिवादी हैं

विवाद में संपत्ति के मालिक और कब्जे में?

XX

XX

XX

3. क्या 30.4.1980 दिनांकित वसीयत को वैध रूप से निष्पादित किया गया था

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में चंदू राम?

XX

XX

XX

7. क्या मृतक चंदू ने अपने सभी बेटों को इस दौरान अलग कर दिया था

उन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी बेटियों को पर्याप्त राशि दी थी।

दहेज आदि का आकार और उसके पुत्रों को भूमि, जैसा कि धनपत v में आरोप लगाया गया है।

शीओ रैम (नष्ट) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

प्रारंभिक आपत्ति सं। 5 लिखित कथन? अगर ऐसा है तो किस लिए?

प्रभाव? "

6. चंदू राम द्वारा संपत्ति के विभाजन से संबंधित मुद्दा संख्या 7 के संबंध में, प्रतिवादियों ने एक निर्णय और डिक्री पर भरोसा किया

वादी-शिव राम और प्रतिवादी संख्या 5, सोहन लाल ने अपने पिता चंदू राम के खिलाफ मुकदमा दायर किया। चंदू राम ने विभाजन के तथ्य को स्वीकार किया

और कि इस आशय का एक निर्णय (Ex. D.-21) और डिक्री (Ex. D.-22) पारित किया गया था। इसके बाद, एक उत्परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई। चंदू राम ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था कि विवादित संपत्ति उसके हिस्से में आ गई थी, जबकि प्रतिवादी (वर्तमान वादी) को गाँव गावर में स्थित 50 एकड़ भूमि, गाँव बैरान में 15 प्रतिशत भूमि, गाँव हरियावास में 10 एकड़ भूमि और गाँव बलियाली में 6 एकड़ भूमि दी गई थी, जो कुल 81 प्रतिशत एकड़ थी। यह भी दलील दी गई कि प्रतिवादी ने इस विभाजन के बाद गाव गावर की 50 एकड़ जमीन और गाँव बैरन की साढ़े 15 एकड़ जमीन बेच दी। प्रतिवादी ने इसमें जोर देकर कहा कि ऊपर उल्लिखित संपत्तियां उसके द्वारा अपनी विशेष निधि से खरीदी गई थीं और इसलिए, उसे इसे बेचने का अधिकार है। निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रति एक्स हैं। डी-17 और डी-18। इसलिए, विद्वत निचली अदालत ने माना कि चंदू राम ने अपने जीवनकाल के दौरान अपने बेटों को अलग कर दिया था और अपनी बेटियों को भी बसाया था। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे निष्कर्षों की पुष्टि की गई थी।

7. अंक संख्या 3 के संबंध में, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वसीयत डी. डब्ल्यू.-3 महा सिंह के बयान के आधार पर विधिवत साबित होती है।

गवाह, डी. डब्ल्यू.-4 अधिवक्ता डी. एस. पंवार, लेखक, डी. डब्ल्यू.-5 सोहन, प्रतिवादी और कृष्ण कांत, पंजीकरण क्लर्क डी. डब्ल्यू. 2 के रूप में। अदालत ने

यह देखा कि डी. डब्ल्यू.-4 डी. एस. पंवार दीवानी अदालत के समक्ष मामलों में चंदू राम के वकील थे जिन्होंने उनके कहने पर वसीयत लिखी थी और महा सिंह ने उनकी उपस्थिति में मूल वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए थे। डी. डब्ल्यू.-4 डी. एस. पंवार ने अपदस्थ कर दिया कि मूल वसीयत खो गई थी और वह इस बारे में निश्चित नहीं थे कि क्या पूर्व। डी-3 मूल वसीयत की सही फोटोकॉपी थी। चंदू की पत्नी चांद कौर

राम से पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की गई जिसने अपदस्थ कर दिया था कि चंदू राम ने उसे अपने घर से बेदखल कर दिया था। इसलिए, अदालत ने पाया कि चंदू राम के लिए प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में वसीयत को निष्पादित करना स्वाभाविक था। सोहन लाल के बेटे। न्यायालय ने इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाई कि प्राकृतिक उत्तराधिकार से विचलन वसीयत को संदिग्ध बना देगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि लेखक को एक प्रमाणक गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन चूंकि दो प्रमाणक गवाहों ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए [2020] 7 एस. सी. आर. का निष्पादन।

वसीयत को प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक की जांच करके साबित किया जाता है। उपरोक्त निष्कर्षों के साथ, विद्वत निचली अदालत ने वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया।

प्रतिवादी संख्या के पक्ष में चंदू राम द्वारा फांसी दी गई। 1 4, यानी प्रतिवादी नंबर 5, सोहन लाल के बेटे और संदिग्ध परिस्थितियों से घिरे नहीं थे। 9. दूसरी अपील में, विद्वान उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा दायर अपील को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि 30 अप्रैल, 1980 की वसीयत

संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई। उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न केवल इसी आशय का था। प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह निष्कर्ष कि वसीयत निष्पादित है और संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप किया गया है।

10. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि केवल महा सिंह से डी. डब्ल्यू.-3 के रूप में प्रमाणित करने वाले गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी, जबकि दूसरे प्रमाणित करने वाले गवाह आजाद सिंह को पेश नहीं किया गया था, इसलिए वसीयत साबित नहीं हुई थी। इसने यह भी माना कि वसीयत को पूरी तरह से गलत पढ़ा गया था, गलत अर्थ लगाया गया था और

गलत व्याख्या की गई। उच्च न्यायालय ने पाया कि वसीयत में चंदू राम की पत्नी और दूसरे बेटे यानी वादी का कोई उल्लेख नहीं था, और इसलिए, इस तरह का तथ्य संदेह करने के लिए एक संदिग्ध परिस्थिति थी।

इच्छा की वास्तविकता। उच्च न्यायालय ने यह साबित करने के लिए कि घर और कृषि भूमि पैतृक संपत्ति थी, चंदू राम द्वारा दायर 7 दिसंबर, 1981 के निचली अदालत के फैसले का उल्लेख किया।

भूमि की प्रकृति से संबंधित उक्त पहलू पर कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया था। वास्तव में, चंदू राम द्वारा दायर मुकदमे में 7 दिसंबर 1981 (पूर्व डी-17) का निर्णय प्रतिवादी द्वारा वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि चंदू राम ने लगभग 1 साल पहले संपत्ति के विभाजन का दावा किया था। वादी-शीओ राम ने दावा किया था कि वह संयुक्त कब्जे में है

संपत्ति से। उक्त मुकदमे में, प्रतिवादी को विवादित मामले में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था।

अंक संख्या 5 पर यह निष्कर्ष वापस करने के बाद कि परिवार का विभाजन हुआ था और संपत्ति को पक्षों की संयुक्त संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने वादी-शीओ राम द्वारा दायर मुकदमे में दर्ज निष्कर्षों का उल्लेख नहीं किया है।

धनपत वी. शीओ रैम (नष्ट) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

11. यह ध्यान दिया जा सकता है कि एल. आर. और अन्य के माध्यम से पंकजक्षी (डी) में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए। वी. चंद्रिका & पंजाब और हरियाणा में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी, दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 41 के संदर्भ में भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रश्न की जाँच इस न्यायालय द्वारा रणधीर कौर बनाम में की गई थी। पृथ्वी पाल सिंह और अन्य 3, जिसमें पंजाब और हरियाणा राज्यों में लागू पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के तहत दूसरी अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश को चित्रित किया गया था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 16. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से पता चलेगा कि दूसरी अपील में अधिकार क्षेत्र इस आधार पर तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना है कि निष्कर्ष गलत हैं, हालांकि, त्रुटि सकल या अक्षम्य प्रतीत हो सकती है। तथ्य के निष्कर्षों में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष भी शामिल होंगे। दूसरी अपील में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र केवल वहीं है जहां

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय साक्ष्य की सराहना के बाद दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता था क्योंकि उच्च न्यायालय ने सोचा था कि दृश्य एक बेहतर दृश्य होगा। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अटार्नी की प्रथम शक्ति में खंड की अनुपस्थिति पर विचार किया है

वादी की ओर से भूमि खरीदना; यह तथ्य कि वादी गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुआ है।

12. उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के समर्थन में, वादी-प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनोज स्वरूप ने तर्क दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (संक्षेप में 'अधिनियम') के संदर्भ में एक वसीयत को दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है जिन्होंने वसीयतकर्ता को देखा है और जिसमें वसीयतकर्ता और दो प्रमाणक गवाह एक-दूसरे की उपस्थिति में हस्ताक्षर करते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि महा सिंह, डी. डब्ल्यू.-3 ने यह बयान नहीं दिया था कि तीनों एक ही समय में उपस्थित थे, इसलिए उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जब वसीयत संदिग्ध से घिरी हुई पाई गई थी।

दूसरे प्रमाणक गवाह के रूप में परिस्थितियों की जांच नहीं की गई थी। यह भी तर्क दिया जाता है कि मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई है और प्रमुख द्वितीयक साक्ष्य के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है। इसलिए, द्वितीयक

वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया जा सका।

2 2 (2016) 6 एस. सी. सी. 157 3 2019 की सिविल अपील संख्या 5822 का निर्णय 24 जुलाई, 2019 [2020] 7 एस. सी. आर.

13. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 18724 की धारा 65 (सी) वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू होती है क्योंकि प्रतिवादियों ने जोर देकर कहा कि मूल वसीयत खो गई है। धारा 65 निम्नानुसार हैः

" 65. जिन मामलों में दस्तावेजों से संबंधित गौण साक्ष्य दिए जा सकते हैं। - निम्नलिखित मामलों में किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता हैः

(ए) एक्सएक्स

XX

XX

(ख) एक्सएक्स

XX

XX

(ग) जब मूल को नष्ट कर दिया गया हो या खो दिया गया हो, या जब इसकी सामग्री का साक्ष्य देने वाला पक्ष, अपने स्वयं के चूक या उपेक्षा से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य कारण से, इसे उचित समय में प्रस्तुत नहीं कर सकता है;

(घ) एक्सएक्स

XX

XX

(ई) एक्सएक्स

XX

XX

(च) एक्सएक्स

XX

XX

(छ) एक्सएक्स

XX

XX

मामलों (ए), (सी) और (डी) में, सामग्री का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य

दस्तावेज़ स्वीकार्य है।

XX "

XX

XX

14. प्रतिवादियों ने उप-पंजीयक के कार्यालय से प्राप्त वसीयत की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। प्रतिवादियों ने डी. डब्ल्यू. 4-डी. एस. पंवार द्वारा लिखी गई वसीयत की फोटोकॉपी भी पेश की।

15. अपने लिए और एम. सखावत अली के स्थान पर एम. एहतिशम अली के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में, क्योंकि मृतक बनाम। जमना प्रसाद, चूंकि मृतक & Ors.5, अपीलार्थी-वादी ने एक बिक्री विलेख के आधार पर मुकदमा दायर किया। मुकदमे के दौरान, वादी का रुख था कि मूल बिक्री विलेख खो गया था, लेकिन चूंकि यह पंजीकृत था, इसलिए पंजीयक के कार्यालय द्वारा तैयार की गई प्रमाणित प्रति के माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। यह विवादित नहीं था कि प्रस्तुत की गई प्रति पंजीकृत दस्तावेज़ की सही प्रति नहीं थी। मुकदमा इस कारण से खारिज कर दिया गया था कि वादी मूल बिक्री विलेख के नुकसान को संतोषजनक रूप से स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

4 संक्षेप में, 'साक्ष्य अधिनियम' 5 एयर 1922 पी. सी. 56 धनपत बनाम।

शीओ रैम (नष्ट) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के कार्य के खो जाने की बहुत संभावना नहीं है, लेकिन

सामान्य मामलों में, यदि वह गवाह जिसकी अभिरक्षा में विलेख को उसके नुकसान के लिए गवाही दी जानी चाहिए, जब तक कि उसके असत्य होने के लिए कोई उद्देश्य नहीं सुझाया जाता है, तो उसके साक्ष्य को विलेख के द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए पर्याप्त के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और अगर इसके अलावा उनकी क्रॉस-जाँच नहीं की गई, तो यह परिणाम और भी अधिक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विलेख निष्पादित किया गया था, क्योंकि यह पंजीकृत किया गया था, और नियमित रूप से पंजीकृत किया गया था, और यह पंजीयक का कर्तव्य है कि वह पंजीकरण करने से पहले अनुदानकर्ता की जांच करे, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह संतुष्ट करता है वह अनुदानकर्ता का उचित प्रतिनिधि है।

विलेख को पंजीकृत करने की अनुमति देता है।

16. एक अन्य फैसले में अहेर राम गोवा एंड ओआरएस के रूप में रिपोर्ट किया गया। वी. गुजरात राज्य, मृत्यु घोषणा का द्वितीयक साक्ष्य दर्ज किया गया एक मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य में पेश किया गया था। इस अदालत ने पाया कि हालांकि मूल मृत्यु घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई थी, लेकिन साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि मूल गुम हो गया था और उपलब्ध नहीं था। मजिस्ट्रेट ने स्वयं शपथ ली कि उन्होंने हेड कांस्टेबल को मूल मृत्यु घोषणा दी थी, जबकि हेड कांस्टेबल ने गवाही दी कि उन्होंने इसकी एक प्रति बनाई थी और इसे मजिस्ट्रेट को वापस दे दिया था। इसलिए, अदालत ने पाया कि मूल मृत्यु घोषणा उपलब्ध नहीं थी और अभियोजन पक्ष द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार था जिसमें मजिस्ट्रेट के साथ-साथ हेड कांस्टेबल का भी बयान शामिल था जिसने मूल से एक प्रति बनाई थी। इस प्रकार, मृत्यु घोषणा के द्वितीयक साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार किया गया था, हालांकि द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।

17. भले ही, पैरा 15 में उपरोक्त निर्णय बिक्री विलेख के नुकसान के संबंध में है, उक्त सिद्धांत इस संबंध में लागू होगा।

वसीयत का भी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में वसीयत के प्रमाण के अधीन। वर्तमान मामले में भी वसीयत लाभार्थी के कब्जे में थी और इसे खोया हुआ बताया गया था। वसीयत 30 अप्रैल, 1980 की है जबकि वसीयतकर्ता की मृत्यु 15 जनवरी, 1982 को हुई थी। मूल वसीयत खोने के संबंध में प्रतिवादियों के किसी भी गवाह से जिरह नहीं की जाती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 द्वितीयक अनुमति देती है।

किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या विषय-वस्तु का साक्ष्य, जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जहाँ मूल दस्तावेज़ को नष्ट कर दिया गया है या खो दिया गया है। वादी ने वसीयत के निष्पादन को स्वीकार किया था, हालांकि यह आरोप लगाया गया था धोखाधड़ी और गलत निरूपण का परिणाम। वसीयत का निष्पादन नहीं था

वादी द्वारा विवादित लेकिन वसीयत का केवल सबूत मुकदमे में विषय वस्तु था। इसलिए, एक बार जब प्रतिवादियों का साक्ष्य यह हो जाता है कि मूल वसीयत खो गई थी और प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई थी, तो प्रतिवादियों ने द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त आधार बनाया है।

18. बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम में यह न्यायालय। गुजरात राज्य और Anr.7 ने किसी भी प्रथा की स्वीकार्यता के संबंध में इस प्रथा की निंदा की

भौतिक साक्ष्य, जहाँ न्यायालय ऐसी आपत्ति पर आदेश पारित किए बिना आगे नहीं बढ़ता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उठाई गई सभी आपत्तियों का निर्णय न्यायालय द्वारा अंतिम चरण में किया जाएगा। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

साक्ष्य विचारण न्यायालय ऐसी आपत्ति को नोट कर सकता है और अंतिम निर्णय में अंतिम चरण में तय की जाने वाली ऐसी आपत्तियों के अधीन मामले में एक प्रदर्शन के रूप में (या मौखिक साक्ष्य के आक्षेपित हिस्से को दर्ज कर सकता है) आक्षेपित दस्तावेज को अस्थायी रूप से चिह्नित कर सकता है। यदि न्यायालय अंतिम चरण में पाता है कि इस प्रकार उठाई गई आपत्ति टिकाऊ है तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य को विचार से बाहर रख सकते हैं। हमारे विचार में इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने में कोई अवैधता नहीं है। (हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि आपत्ति एक दस्तावेज के स्टाम्प शुल्क की कमी से संबंधित है जिसे अदालत को आगे बढ़ने से पहले आपत्ति का फैसला करना होता है। अन्य सभी आपत्तियों के लिए ऊपर सुझाई गई प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है)।

15. यदि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो इसके दो लाभ होंगे। पहला यह है कि निचली अदालत में साक्ष्य लेने के दौरान इस तरह की आपत्तियां उठाने के कारण समय बर्बाद नहीं होगा और अदालत कर सकती है।

गवाहों से पूछताछ जारी रखें। गवाहों को दिन नहीं तो लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यह है कि जब उसी आपत्ति पर पुनर्विचार किया जाता है और निचली अदालत के अंतिम फैसले के खिलाफ अपील या संशोधन में पुनर्विचार किया जाता है, तो उच्च न्यायालय उस आपत्ति के संबंध में निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता का निर्धारण कर सकता है, मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए निचली अदालत को फिर से भेजने की जहमत उठाए बिना। हम यह भी बता सकते हैं कि यह उपाय मुकदमे के पक्षों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा और उनके दुख या खर्च में वृद्धि नहीं करेगा।

7 (2001) 3 एस. सी. सी. 1 धनपत बनाम

शीओ रैम (नष्ट) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

उड़ीसा राज्य में स्टाम्प शुल्क के संबंध में जहां यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या कब्जा एक पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसरण में दिया गया था, वही तथ्य का प्रश्न था जिसका निर्णय साक्ष्य के नेतृत्व के बाद किया जाना आवश्यक था। 20. ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 (सी) के संदर्भ में आवेदन दायर करने की आवश्यकता हो। एल. आई. एस. का एक पक्ष एक आवेदन दायर करने का विकल्प चुन सकता है जिस पर निचली अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, लेकिन यदि मुकदमे के किसी पक्ष ने अभियोग या साक्ष्य में गौण साक्ष्य के नेतृत्व की नींव रखी है, तो द्वितीयक साक्ष्य को केवल इसलिए विचार के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि द्वितीयक साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर नहीं किया गया था।

21. अब, इस सवाल पर आते हुए कि क्या प्रतिवादियों ने वसीयत के उचित निष्पादन को साबित कर दिया है, एच. वेंकटचाला अयंगर बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाएगा। बीएन.

थिम्माजम्मा और Ors.º। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 पर विचार करते हुए यह परीक्षण निर्धारित किया कि क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं और क्या वह वसीयत में स्वभाव की प्रकृति और प्रभाव को समझता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 18. ..... इस प्रकार यह प्रश्न कि क्या प्रोपाउंडर द्वारा स्थापित वसीयत वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत साबित होती है, इन प्रावधानों के आलोक में तय किया जाना चाहिए। क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या वह इच्छा में प्रवृत्तियों की प्रकृति और प्रभाव को समझते थे? क्या उन्होंने वसीयत पर यह जानते हुए हस्ताक्षर किए थे कि उसमें क्या है? मोटे तौर पर यह इन प्रश्नों का निर्णय है जो वसीयत के प्रमाण के प्रश्न पर निष्कर्ष की प्रकृति को निर्धारित करता है। यह कहना प्रथम दृष्टया सही होगा कि वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा निर्धारित सत्यापन की विशेष आवश्यकताओं को छोड़कर किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह साबित करना होगा। जैसा कि अन्य दस्तावेजों के प्रमाण के मामले में होता है, इसलिए वसीयत के प्रमाण के मामले में गणितीय निश्चितता के साथ प्रमाण की उम्मीद करना बेकार होगा। लागू की जाने वाली परीक्षा ऐसे मामलों में विवेकपूर्ण मन की संतुष्टि की सामान्य परीक्षा होगी।

8 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 184 9 ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 443 [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. इस अदालत ने एक फैसले में एल. आर. द्वारा सेठ बेनी चंद (मृत होने के बाद से) के रूप में रिपोर्ट किया। वी. श्रीमती. कमला कुंवर और Ors.[1]0 10 ने अभिनिर्धारित किया कि हर मामले में प्रोबन्दी की जिम्मेदारी वसीयत पेश करने वाले पक्ष पर निर्भर करती है, और उसे अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करना चाहिए कि इस तरह से प्रस्तुत किया गया दस्तावेज एक स्वतंत्र और सक्षम वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 9. वह प्रश्न जो अब विचार के लिए उत्पन्न होता है, जिस पर लेटर्स पेटेंट कोर्ट विद्वान एकल न्यायाधीश से भिन्न था

उच्च न्यायालय का निर्णय यह है कि क्या जग्गू बाई द्वारा वसीयत का निष्पादन संतोषजनक रूप से साबित होता है। यह अच्छी तरह से तय है कि हर मामले में प्रोबंडी की जिम्मेदारी वसीयत पेश करने वाले पक्ष पर होती है, और उसे यह करना चाहिए

न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करें कि साधन इस प्रकार है

यह दिखाने के लिए सबूत कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या निशान हैं और वसीयत विधिवत प्रमाणित है। प्रमाणन साबित करने के लिए, सबसे अच्छा साक्ष्य स्वाभाविक रूप से एक प्रमाणक गवाह का होगा और वास्तव में वसीयत का उपयोग सबूत के रूप में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उपलब्धता के आधार पर कम से कम एक प्रमाणक गवाह को साक्ष्य की धारा 68 द्वारा आवश्यक निष्पादन साबित करने के लिए नहीं बुलाया गया हो। एक्ट करें।

जाँच में, उन्होंने कहा कि वे पंजीकरण के लिए अन्य दस्तावेजों के संबंध में तहसील कार्यालय आए थे। उन्होंने पदच्युत किया कि पूर्व डी-4-वसीयत, उनकी उपस्थिति में टाइप की गई थी। उन्होंने इस सवाल का खंडन किया कि कोई वसीयत नहीं थी। उसकी उपस्थिति में मार डाला गया। उप-पंजीयक के समक्ष उनके उपस्थित नहीं होने के बारे में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी। एक बार इच्छा सिद्ध हो जाने के बाद

10 (1976) 4 एस. सी. सी. 554 धनपत बनाम

शीओ रैम (नष्ट) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

तब ऐसे दस्तावेज़ की सामग्री साक्ष्य का हिस्सा होती है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकता पूरी हो जाती है। गवाह को तोते की तरह दोहराना नहीं चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की भाषा। प्रत्येक मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि वसीयत के निष्पादन के समय गवाह मौजूद था या नहीं और क्या वसीयतकर्ता और प्रमाणक गवाहों ने उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। प्रमाणित करने वाले गवाह का बयान उप-पंजीयक के कार्यालय के लेखक और अधिकारी के साक्ष्य के अलावा वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करता है।

24. श्री स्वरूप ने इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख एम. एल. अब्दुल जब्बार साहिब बनाम के रूप में किया। एम. वी. वेंकट शास्त्री एंड संस और अन्य। 11

उसमें चर्चा किया गया प्राथमिक मुद्दा वसूली के लिए एक संक्षिप्त मुकदमा था जिसमें बचाव की अनुमति के लिए एक आवेदन Rs.50,000/- की राशि के लिए प्रतिभूति प्रदान करने की शर्त पर दिया गया था। जांच किए गए प्रश्न में यह पूछा गया कि क्या सुरक्षा बांड दो गवाहों द्वारा सत्यापित है और यदि नहीं, तो क्या यह अमान्य था। प्रमाणन पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने गवाहों के प्रमाणन के प्रश्न पर भी चर्चा की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 8. " प्रत्येक मामले में न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि नाम दोनों तरफ से लिखे गए थे ", विल्ज़ पर जर्मन, 8 वीं संस्करण देखें। , 137. साक्ष्य यह दिखाने के लिए स्वीकार्य है कि क्या गवाह के पास था

पी।

सिंह बनाम। जगन्नाथ सिंह [54 एमएलजे 43], प्रिवी काउंसिल ने आयोजित किया कि जिन उत्तराधिकारियों ने टोकन में वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए थे

11 (1969) 1 एससीसी 573 [2020] 7 एस. सी. आर.

इसके निष्पादन के लिए उनकी सहमति गवाहों को प्रमाणित नहीं कर रही थी और उन्हें वसीयत के रूप में लेने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया था।

25. उपरोक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिस व्यक्ति ने "लिपिक" शब्द के तहत अपना नाम रखा है, वह एक प्रमाणक गवाह नहीं था।

कि जिन उत्तराधिकारियों ने वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए थे, वे गवाहों को प्रमाणित नहीं कर रहे थे। वर्तमान मामले में, महा सिंह और आजाद सिंह ने न केवल फांसी के समय बल्कि उप-पंजीयक के समक्ष पंजीकरण के समय भी गवाहों को प्रमाणित करने के लिए वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए, उक्त निर्णय उठाए गए तर्क के लिए सहायक नहीं है।

26. श्री स्वरूप ने एन. कमलम (मृत) और अन्न के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले पर भरोसा किया। वी. अय्यासामी और Anr.[1]2 12 कि महा की अनुपस्थिति में

सिंह ने यह बयान देते हुए कि वह आजाद सिंह के साथ प्रमाणक गवाह हैं, उनके बयान को प्रमाणक गवाह नहीं माना जा सकता है। हम उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। उपरोक्त मामले में, यह लेखक था जिसे प्रमाणक गवाह कहा गया था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 27. ..... इस प्रकार, जहां तक लेखक का संबंध है, इसे प्रमाणित करने की इच्छा उपलब्ध नहीं हैः वह वसीयत का गवाह नहीं है, बल्कि वसीयत का लेखक है। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि वैधानिक आवश्यकता को लेखक के पक्ष में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रस्तावक के खिलाफ जाता है क्योंकि दोनों गवाहों का नाम उसमें है।

विस्तृत पते के साथ और उन्हें लाने या अदालत के समक्ष पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ताकि न्यायिक विवेक को संतुष्ट किया जा सके। लेखक की उपस्थिति और उस पर उनके हस्ताक्षर

दस्तावेज़ को अपने आप में उचित प्रमाणन का प्रमाण नहीं माना जाता है जब तक कि स्थिति दस्तावेज़ में ही व्यक्त नहीं की जाती है-यह फिर से विचाराधीन मामले में वर्तमान में मौजूद स्थिति नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष कुछ शिकायत की गई थी कि पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, लेकिन हम इसके साथ अपनी सहमति दर्ज करने में असमर्थ हैं। लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है

उन गवाहों को प्रमाणित करना जो स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं।

27. उक्त निर्णय की कोई प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि महा सिंह प्रमाणक गवाह हैं और प्रतिवादी द्वारा उनकी जाँच की गई है। 12 (2001) 7 एस. सी. सी. 503 धनपत बनाम

शीओ रैम (नष्ट) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

28. श्री स्वरूप ने आगे इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया जिसे जानकी नारायण भोइर बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया था। नारायण नामदेव कदम 1 3 यह तर्क देते हुए कि यदि एक प्रमाणित करने वाले गवाह से पूछताछ की जाती है, तो उसे निम्नलिखित निष्कर्षों पर भरोसा करके दूसरे प्रमाणित करने वाले गवाह की उपस्थिति के बारे में गवाही देनी होगीः

" 10. ..... जाँच किए गए गवाह को, अपने साक्ष्य में, यह साबित करने के लिए कि वसीयत का उचित निष्पादन किया गया था, अपने और दूसरे प्रमाणित करने वाले गवाह द्वारा वसीयत के सत्यापन को संतुष्ट करना होता है। यदि अपने प्रमाणन के अलावा जांचा गया प्रमाणक गवाह अपने साक्ष्य में अन्य गवाह द्वारा वसीयत के प्रमाणन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो यह कम से कम दो गवाहों द्वारा वसीयत के प्रमाणन से कम है क्योंकि वसीयत के निष्पादन का मतलब केवल वसीयतकर्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरा करना और प्रमाण करना है। जहाँ कोई गवाह को प्रमाणित करता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत को साबित करने के लिए जांच की जाती है जो वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने में विफल रहती है तो अन्य उपलब्ध प्रमाणक गवाह को अपने साक्ष्य के पूरक के रूप में बुलाना पड़ता है ताकि इसे हर तरह से पूरा किया जा सके। जहां एक प्रमाणक गवाह से पूछताछ की जाती है और वह दूसरे गवाह द्वारा वसीयत के प्रमाणन को साबित करने में विफल रहता है, वहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में कमी होगी।

29. हम उक्त तर्क में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अभिलेख पर प्रस्तुत महा सिंह के बयान से पता चलता है कि उनके साथ

आजाद सिंह, दूसरे प्रमाणक गवाह और वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। जिरह में, यह कथन कि उन्होंने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं, विवादित नहीं था और न ही वसीयतकर्ता या अन्य प्रमाणक गवाह उस समय मौजूद नहीं थे। इसलिए, उपरोक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। वास्तव में, यह तथ्य का निष्कर्ष है, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है।

30. इस तर्क के संबंध में कि वसीयत में कुछ प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का उल्लेख भी नहीं किया गया था, इसलिए वसीयत के चारों ओर

संदिग्ध परिस्थितियाँ फिर से मान्य नहीं हैं। अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री ऋषि मल्होत्रा ने इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख रवींद्र नाथ मुखर्जी और अन्न के रूप में किया। वी. एल. आर. द्वारा पंचानन बनर्जी (मृत)। & ओआरएस। 14 1 4 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वसीयत निष्पादित की गई थी 13 (2003) 2 एस. सी. सी 91

4 14 (1995) 4 एस. सी. सी. 459 [2020] 7 एस. सी. आर.

प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के बहिष्कार के लिए। उच्च न्यायालय द्वारा वसीयतनामा द्वारा प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को वंचित करने के लिए पाई गई संदिग्ध परिस्थितियाँ पर्याप्त नहीं पाई गईं। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 4. जहाँ तक पहली परिस्थिति की बात है, हम देखेंगे कि इससे कोई संदेह नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि निष्पादन के पीछे पूरा विचार है

कि कुछ मामलों में वे पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और अन्य में केवल आंशिक रूप से। जैसा कि वर्तमान मामले में, दो निष्पादक एक के पुत्र हैं

एक पूर्ण रक्त बहन के वंशज, बाद की विरासत को एक संदिग्ध परिस्थिति के रूप में नहीं लिया जा सकता था, जब कुछ उनके
वंशज भी वसीयत के तहत लाभार्थी हैं।

31. श्री मल्होत्रा ने इस न्यायालय के एक अन्य फैसले का उल्लेख किया

वेद मित्र वर्मा बनाम के रूप में सूचित। धरम देव वर्मा 1 5 जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वसीयतकर्ता के बच्चों का अपवर्जन और वसीयतकर्ता द्वारा पुत्रों में से एक के एकमात्र लाभ के लिए वसीयत का निष्पादन एक संदिग्ध परिस्थिति नहीं है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 8. वसीयतकर्ता के अन्य बच्चों का बहिष्कार और बेटे में से एक यानी प्रतिवादी के एकमात्र लाभ के लिए वसीयत का निष्पादन, अपने आप में, एक संदिग्ध परिस्थिति नहीं है। संपत्ति स्व-अर्जित होने के कारण, यह वसीयतकर्ता की इच्छा है जो प्रबल होती है।

32. श्री मल्होत्रा ने इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया

लीला राजगोपाल एंड ओआरएस के रूप में रिपोर्ट किया गया। वी. कमला मेनन कोचरान और अन्य। 16 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वसीयत में दिखाई देने वाली असामान्य विशेषताओं या उसके निष्पादन के आसपास की अप्राकृतिक परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय का समग्र मूल्यांकन है, जो इसे स्वीकार करने से पहले इसकी गहन जांच को उचित ठहराता है। इसमें, वसीयत के आसपास की असामान्य विशेषताओं और परिस्थितियों का संचयी प्रभाव, उसके द्वारा किए जाने वाले आवश्यक निर्धारण में अदालत पर भारी पड़ेगा। न्यायिक निर्णय सभी असामान्य विशेषताओं और संदिग्ध परिस्थितियों को एक साथ विचार करने पर आधारित होगा, न कि किसी एक विशेषता के प्रभाव पर जो किसी वसीयत या एकल परिस्थिति में पाया जा सकता है जो उसके निष्पादन की प्रक्रिया से दिखाई दे सकता है। न्यायालय ने कहा कि

इसके अंतर्गतः 15 (2014) 15 एस. सी. सी. 578

16 (2014) 15 एस. सी. सी. 570 हनपत बनाम।

शीओ रैम (नष्ट) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

स्वीकार कर लिया। यह इस तरह की जांच के आधार पर अदालत का समग्र मूल्यांकन है; असामान्य विशेषताओं और परिस्थितियों का संचयी प्रभाव जो उसके द्वारा किए जाने वाले आवश्यक निर्धारण में अदालत के साथ वजन करेगा। न्यायिक फैसला, अंतिम उपाय में, सभी असामान्य विशेषताओं और संदिग्ध परिस्थितियों पर विचार करने के आधार पर होगा। और किसी भी एकल विशेषता के प्रभाव पर नहीं जो किसी वसीयत या एकल परिस्थिति में पाया जा सकता है जो इसके निष्पादन या पंजीकरण की प्रक्रिया से दिखाई दे सकता है। यह इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा बार-बार की गई घोषणाओं का सार है, जिसमें संदर्भित और भरोसेमंद निर्णय भी शामिल हैं।

हमारे सामने।

14. वर्तमान मामले में, वसीयत का बारीकी से पढ़ना इंगित करता है कि

स्पष्ट भाषा, और इसका स्पष्ट उद्देश्य और प्रभाव। वसीयतकर्ता का मन स्पष्ट रूप से स्पष्ट है और पुत्रों के बहिष्कार के कारण वसीयत से ही स्पष्ट हैं।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के पास स्पष्ट रूप से निम्न न्यायालयों में दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कानून है। पूरा निर्णय गलत धारणा पर चलता है, इसलिए, कानून में टिकाऊ नहीं है। इसे दरकिनार कर दिया जाता है और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को बहाल कर दिया जाता है। तदनुसार,

अनुमति दी जाती है और मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।

अपील की

अनुमति दी गई।

.....त्रिपाठी